झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
द्वितीय (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 23.03.2020 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता स0वि0स0 श्री राज सिन्हा स0वि0स0 श्री इन्द्रजीत महतो स0वि0स0	धनबाद जिला के निरसा प्रखण्ड अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में बराकर नदी पर बरवेंदिया पुल का निर्माण 36.87 करोड़ रुपयों की लागत से निर्माण कार्य शुरू कराया गया था। 25 अगस्त 2009 को नदी के बहाव से 2 (दो) स्तंभ ध्वस्त होकर बह गये तथा 3 (तीन) स्तंभ झुककर टेढ़े हो गये और एक बरसात भी पुल के स्तंभ के गलत निर्माण के कारण नहीं झेल पाया। इसके निर्माण में अबतक 22.10 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है। बरवेंदिया पुल से जामताड़ा जिला का ग्राम- विरगांव की दूरी 01 कि0मी0 है तथा यह पुल धनबाद जिला के अलावा जामताड़ा, देवघर, दुमका जिला के समीपवर्त्ती प्रखंडों के लाखों लोगों का आवागमन का माध्यम होता, लेकिन 01 कि0मी0 की दूरी तय करने के लिए लोगों को 53 कि0मी0 की दूरी पं0 बंगाल होकर तय करनी पड़ती है। ग्रामीण नाव या बाँस के पुल से आवागमन करते हैं जिससे कई बार दुर्घटनायें घट चूकी है। पुल नहीं रहने के कारण लोगों को काफी तकलीफें उठानी पड़ती है।	ग्रामीण विकास

01.	02.	03.	04.
		अतः निर्माण में की गई गड़बड़ियों एवं गुणवत्ता तथा ध्वस्त पुल की जवाबदेही की जाँच मुख्य अभियंता के नेतृत्व में समिति बनाकर संवेदक व अभियंताओं पर कार्रवाई व 10 वर्षों से बन्द पड़े पुल के निर्माण के लिए सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।	
02-	श्री वैद्यनाथ राम स0वि0स0	झारखण्ड राज्य के सभी पोलिटेकनिक डिप्लोमा कॉलेज के छात्र-छात्राओं के सभी संकाय (In Civil Engineering, Electric, Mechanical, Computer, Electronics etc.) का सत्र 2014-2017, 2015-2018, 2016-2019, 2017-2020 के सेमेस्टर 1, 3, 4, एवं 5 की परीक्षा अभी तक नही ली गयी है। छात्र-छात्राओं का कहना है कि सिलेबस में परिवर्तन हो जाने के कारण पूर्व के सिलेबस पर आधारित इनकी परीक्षा नही ली जा रही है जिसके कारण इन सभी छात्र-छात्राओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है। अतएव मैं पूर्व में सिलेबस पर आधारित बैंक पेपर से उक्त सेमेस्टरों की परीक्षा लेने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास
03	श्री प्रदीप यादव स0वि0स0 श्री स्टीफन मराण्डी स0वि0स0 श्री नलिन सोरेन स0वि0स0	अविभाजित बिहार सरकार के पत्रांक- सं0- 9/ ले0 207/ 91 गृह आ0 10129, दिनांक- 6 अक्टूबर 1991, पत्रांक- सं0- 11287, दिनांक- 20/12/1995 एवं झारखण्ड सरकार के पत्रांक सं0- 3206, दिनांक- 15 जून-2002 के पद पर चौकीदार की नियुक्ति पूर्व से कार्यरत कर्मियों के आश्रितों की हुई थी। 5-6 वर्षों तक उनकी सेवा भी ली गयी एवं सी0पी0एफ0 में पैसा भी जमा है। वर्ष 2009 में झारखण्ड सरकार ने निर्णय लिया था कि दिनांक- 01.01.1990 के बाद अवकाश प्राप्त करने पर उनके-	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन

कृ0पृ030-

01.	02.	03.	04.
		नामित को एक बार अपवाद स्वरूप बॉण्ड लेकर नियुक्त करना है। झारखण्ड सरकार के नियमावली में ये बातें स्पष्ट अंकित हैं, लेकिन कोर्ट के आदेश का गलत बहाना बनाकर इन गरीब आश्रितों (चौकीदारों) को बर्खास्त कर दिया गया। सरकार उस पद पर उन्हें पुनः बहाल करने हेतु पुनर्विचार करे। अतः इस महत्त्वपूर्ण विषय पर हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।	
04–	सुश्री अम्बा प्रसाद स0वि0स0 डॉ0 इरफान अंसारी स0वि0स0	कम्पनी द्वारा भूमि अधिग्रहण किये जाने पर मुआवजा के रूप में झारखण्ड राज्य स्थित गोड्डा जिले में थानी–1 भूमि का प्रति एकड़ सर्कील दर 13 लाख 76 हजार रूपये है जबकि हजारीबाग जिलान्तर्गत बड़कागांव में इसका दर 3 लाख 50 हजार रूपये है। गोड्डा जिलान्तर्गत आदानी पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा प्रति एकड़ 60 लाख रूपया एवं पाकुड़ जिलान्तर्गत पेनम कोल माइन्स लिमिटेड द्वारा अधिगृहीत जमाबंदी भूमि के रैयतों को 50 लाख रूपया प्रति एकड़ सरकार द्वारा जमाबंदी रैयतों को भुगतान किया गया है। हजारीबाग जिलान्तर्गत बड़कागांव एन.टी0पी0सी0 द्वारा भूमि अधिग्रहण में 20 लाख रूपया प्रति एकड़ वहीं चतरा जिलान्तर्गत टंडवा एन0टी0पी0सी0 अधिष्ठापन हेतु भूमि अधिग्रहण में जमाबंदी रैयतों को महज 15 लाख रूपया प्रति एकड़ मुआवजा का भुगतान किया गया है। अतः सदन के माध्यम से गोड्डा जिला में भुगतान किए गए मुआवजा राशि के दर पर उक्त जिलों सहित राज्य के जिन जिलों में किसी भी कंपनी द्वारा भूमि अधिग्रहण किया गया है, उन जिलों के जमाबंदी रैयतों को समान मुआवजा की राशि भुगतान करने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार
05	श्री नवीन जायसवाल स0वि0स0	जल संसाधन विभाग झारखण्ड सरकार में एकमुश्त भुगतान/संविदा के आधार पर कम्प्युटर ऑपरेटर/डाटा इन्ट्री	जल संसाधन

01.	02.	03.	04.
		ऑपरेटर पिछले 13-14 वर्षों से काम करते आ रहे है। और हर वर्ष इनकी अवधि विस्तार के लिए विभागीय माननीय मंत्री जी का अनुमोदन लिया जाता है। अनुमोदनोपरान्त पुनः इन सभी कर्मियों से काम लिया जाता है। जिस कारण हर वर्ष इन सभी कर्मियों के मन में अवधि विस्तार को लेकर मानसिक तनाव की स्थिति बनी रहती है। (अवधि विस्तार होगा या नही/अवधि विस्तार के बाद पुनः पूर्व कर्मियों से काम लिया जाएगा या नही) अतः सदन के माध्यम से मैं सरकार से माँग करता हूँ कि विभागीय कार्य और कर्मियों की जरूरत एवं कार्मिक विभाग के द्वारा पद सृजन करने हेतु दिये गये निर्देश के आलोक में हर साल अवधि विस्तार करने के बजाय पद सृजन कर इन अनुभवी कर्मियों की सेवा सुनिश्चित की जाय।	

रॉची,
दिनांक- 23 मार्च, 2020 ई0।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रॉची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2020-...1302.../वि0 स0, रॉची, दिनांक-21/03/2020

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, रॉची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय रॉची/उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग/गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/ जल संसाधन विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रॉची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2020-...1302.../वि0 स0, रॉची, दिनांक- 21/03/2020

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रॉची।
21.03.2020

सुभाष/-